राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
128 / 2023	17.04.2023	23.05.2024

उनवान

1. हरदयाल पुत्र भोजाराम जाति अहीर निवासी ग्राम बीझापुर तहसील नीमराणा हाल तह. मांढण जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड (राज0)

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल तह. मांढण जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड (राज0)।

प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति:–

1. श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता – वादी ।
2. पैरोकार सरकार।

—::निर्णय::— दिनांक :— 23.05.2024

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आ0ख0न0 हाल 111 / 0.12, 347 / 0.26 है0 वाके ग्राम परतापुर तहसील बहरोड हाल मांढन जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी मुतनाजा का वास्तविक खातेदार वादी का पिता भोजाराम था तथा उनके फौत हो जाने पर वादी के बहिन,भाई व माँ को आराजी मुतनाजा विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी का वास्तविक एवम रिकॉर्डेड नाम **हरदयाल** जो पहचान के सभी दस्तावेजात मे सही है तथा विरासत दर्ज करवाते समय पहचान के समस्त दस्तावेजात दिये थे। वादी आराजी मुतनाजा मे अपने 1/6 भाग पर बिना किसी रोकटोक के काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है जिससे वादी को रिकार्ड देखने की कोई आवश्यकता नही हुई जिससे गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी। वादी को आराजी मुतनाजा पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेने के लिये पटवारी हल्का से फाइल बनवानी चाही तो उन्होने रिकार्ड देखकर बताया की आराजी मुतनाजा मे वादी का नाम **हरदान पुत्र भोजाराम** व ग्राम बींजपुर की वर्तमान खाता स0 270 मे वादी का नाम **हरदयाल पुत्र भोजाराम** अंकित है। जिस पर वादी ने नकले आदि प्राप्त कर पटवारी हल्का से आराजी मुतनाजा मे मुताबिक दस्तावेजात हरदान के स्थान पर हरदयाल दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होने बताया की तहसीलदार साहब से आदेश लाकर देने पर ही नाम दुरूस्त होगा जिस हेतु तहसीलदार साहब से निवेदन करने पर तहसीलदार साहब ने बताया की सक्षम न्यायालय मे दावा दायर कर नाम दुरूस्त करवाये जिससे दावा अन्दर मियाद पेश है आदि आदि का अंकन करते हुए निवेदन रहा की वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की फरमाई

जावे की विवादित आराजीयात मे वादी का नाम राजस्व विभाग द्वारा संहवन से **हरदान पुत्र भोजाराम** अंकित कर दिया जो राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित होता आ रहा है जबकि वर्तमान खाता संख्या 270 वाके बीझपुर तह0 गोंढण की जमाबंदी मे मिन वादी का सही नाम हरदयाल ही अंकित है एवं हरदान पुत्र भोजाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बीझपुर मे वादी के अलावा नही है आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की फरमाई जावे कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम परतापुर मे वादी का नाम हरदान पुत्र भोजाराम अंकित कर दिया है जिसको मुताबिक पहचान के दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड व वर्तमान खाता संख्या 270 वाके ग्राम बीझपुर की कृषि भूमि मे वादी का जो सही नाम हरदयाल अंकित है के मुताबिक हरदान के स्थान पर हरदयाल किया जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा शेष रिकॉर्ड यथावात रखा जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। मुताबिक प्रस्तुत जवाब दावे के बिन्दू संख्या 1, 2, 3 सही है, स्वीकार है एवं बिन्दू संख्या 4 अनुसार पत्रावली मे संलग्न इंतकाल संख्या 345 ग्राम परतापुर मे वादी का नाम हरदान पुत्र भोजाराम दर्ज है गलत इन्द्राज होने पर सक्षम न्यायालय अपील दर्ज हो सकती है अंकित करते हुए बिन्दू संख्या 5 लगायत 14 सही होना स्वीकार अंकित करते हुए उक्त विवादित आराजीयत वाके ग्राम परतापुर के बाबत इंतकाल संख्या 345 की अपील किया जाना अपेक्षित है अंकित करते हुए पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप विवादित आराजीयात वाके ग्राम परतापुर के बाबत की नकल जमाबंदी संवत 2075–78 जिसमे वादी के नाम का सहखातेदार के रूप मे हरदान पुत्र भोजाराम नाम अंकित है एवं वाके ग्राम बींझपुर के बाबत की नकल जमाबंदी संवत 2072–76 जिसमे वादी के नाम का सहखातेदार के रूप मे हरदयाल पुत्र भोजाराम नाम अंकित है एवं इंतकाल संख्या 345 वाके ग्राम परतापुर की पेश की है एवं मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रतियां पेश की है जिनमे वादी का नाम हरदयाल पुत्र भोजाराम नाम अंकित है जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम परतापुर जिसमे वादी के नाम का सहखातेदार के रूप मे हरदान पुत्र भोजाराम नाम अंकित है जो गलत नाम है एवं वाके ग्राम बींझपुर के बाबत की नकल जमाबंदी संवत 2072–76 जिसमे वादी के नाम का सहखातेदार के रूप मे हरदयाल पुत्र भोजाराम नाम अंकित है जो पहचान के दस्तावेजात के आधार पर सही नाम है एवं पत्रावली मे प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियों के मुताबिक भी सही नाम हरदयाल पुत्र भोजाराम ही है इस प्रकार वादी ने अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अनिकथन करते हुए वादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड मे उक्तानुसार ही अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन रहा एवं वकील प्रतिवादी / पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दावे के जिम्मनों को दोहरते हुए विवादित आराजीयात वाके ग्राम परतापुर के विरासत इंतकाल संख्या 345 की अपील किया

जाना अपेक्षित है अभिकथन करते हुए वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से अपने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति मे वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के आ0ख0न0 हाल 111/0.12, 347/0.26 है0 वाके ग्राम परतापुर तहसील बहरोड हाल तह0 मांढन जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के नाम हरदान पुत्र भोजाराम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव उसके स्थान पर हरदयाल पुत्र भोजाराम नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

23.05.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
128/2023	17.04.2023	23.05.2024

उनवान

1. हरदयाल पुत्र भोजाराम जाति अहीर निवासी ग्राम बींझपुर तहसील नीमराणा हाल तह. मांढण जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड (राज0)

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल तह. मांढण जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड (राज0)।

प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 23.05.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है किः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यन से अपने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति मे वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के आ0ख0न0 हाल 111/0.12, 347/0.26 है0 वाके ग्राम परतापुर तहसील बहरोड हाल तह0 मांढन जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के नाम हरदान पुत्र भोजाराम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव उसके स्थान पर हरदयाल पुत्र भोजाराम नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23.05.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी